हंसाराम

न्याय आपके द्वार अ
शिवि
दिनांक :-

कन्यादेवी बनाम रमेशकुमार वगेरह

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 13/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
04.06.2018	वादीनी अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4, 1, 6, 7, उपस्थित। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया वादग्रस्त भूमि मौजा नारलाई तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 1665, 1666, 1668, 1670, 1650, 1675, 1678 कुल रकबा 13.74 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/60 हिस्सा पुश्तैनी निहित है। अतः पुश्तैनी 1/60 हिस्से की खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 हंसाराम पुत्र छेलाराम जो वादीनी का पिता है, ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह अभी जीवित है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1665, 1666, 1668, व 1670 रकबा 5.80 हेक्टर मे उसका 1/18 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार हमने भूमिधारी तहसीलदार देसूरी को सुना एवं उपलब्ध गत व हाल रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हकूक प्राप्त करने का किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 हंसाराम के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि के अधिकार वादीगण को दिया जाना कतई विधि सम्मत नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों से वर्जित है न ही मांगा गया अनुतोष ही विधि अनुसार है, न ही वाद का वादकरण ही उत्पन्न है अतः प्राथमिक स्थिति पर ही वादी का वाद खारिज किये जाने के योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न उद्वहरणों यथा डी.एन.जे. (रेवेन्यू) 2017 पेज 174, पेज 133 व आर.आर.टी. 2009(1) पेज 162, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 365 से भी उक्त स्थिति की पुष्टि होती है। अतः वाद वादीनी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। (राजेश मेवाड़ा) उपखण्ड अधिकारी देसूरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

गोमली

पोकरी

हीरी

सदाराम

दलाराम